न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 50/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/67)

नक्षत्रसिंह पुत्र संतासिंह जाति जटसिंक्ख निवासी 16 एच तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। **अपीलान्ट**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घड़साना।
2. सतपाल सिह पुत्र स्व. गुरदेव सिह जाति जट सिख निवासी गांव 2 डी डी ए, ग्राम पंचायत 6 डी डी तहसील घड़साना जिला अनूपगढ।
3. राजपाल सिह उर्फ बलराज सिह पुत्र स्व. गुरदेव सिह जाति जट सिख निवासी गांव 2 डी डी ए, ग्राम पंचायत 6 डी डी तहसील घड़साना जिला अनूपगढ। **रेस्पोडेंट्स**

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री प्रेम नारायण हर्ष –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 16.04.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) घड़साना जिला श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 29/2022 निर्णय दिनांक 20.01.2023 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार (भू.अ.)घड़साना जिला श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 29/2022 निर्णय दिनांक 20.01.2023 जिसके तहत अपीलान्ट का वसीयत के आधार पर ईन्तकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 20.01.2023 को निरस्त करने एवं अपील स्वीकार करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।
4. इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.01.2024 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी अपील में सतपाल सिह एवं राजपाल सिह उर्फ बलराज सिह का पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सतपाल सिह को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं राजपाल सिह

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उर्फ बलराजसिह को रेस्पोडेन्ट सं. 3 के रूप में पक्षकार संयोजित किये जाने के आदेश दिये गये है।

5. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट की कृषि भूमि वाके चक 2 डीडी–ए तहसील घड़साना का पं. नं. 162/34 का किला नं. 6, 15 रकबा 0.506 कमाण्ड मय खाला पं. नं. 162/50 का कि. नं. 1 ता 15 का 3.795 है. कमाण्ड मय खाला, 162/57 का कि.नं. 21 रकबा 0.190 है, कमाण्ड पं. नं. 162/58 का कि.न. 1, 2, 9 ता 12, 19 रकबा 1.467 हैक्टर कमाण्ड, पं. नं. 162/41 का कि.नं. 21 ता 25 रकबा 0.949 है कमाण्ड, पं.नं. 162/49 का कि.नं. 21 ता 25 रकबा 1.265 हैक्टर कमाण्ड मय खाला कुल रकबा 8.172 हैक्टर कमाण्ड मय खाला भूमि कालूराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी सरदारशहर की गैर खातेदारी भूमि रही थी। कालूराम की भूमि उक्त 1955 से पूर्व से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। जो भूमि पूर्व में रोही मौजा मोमेवाला खसरा नं. 133/24 में तादादी 49 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 134/24 में 40 बीघा 11 बिस्वा कुल 90 बीघा 5 बिस्वा भूमि चली आ रही थी। जिसके बाबत कालूराम ने अपने जीवनकाल मे एक वसीयत अपीलान्ट नक्षत्रसिह के हक में दिनांक 20.06.1972 को कर दी थी। कालूराम की मृत्यु दिनांक 30.04.1982 को हो चुकी है। कालूराम की मृत्यु के बाद अपीलान्ट ने उक्त कृषि भूमि पर वसीयत के अनुसार अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज करने बाबत एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार घड़साना में पेश किया। वसीयत के दो गवाह गुरनैब सिह व भूरा सिह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उनके समक्ष की गई वसीयत व अगूठा निशानी होने का कथन किया गया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट मांगने पर पटवारी द्वारा अन्य भूमि की रिपोर्ट भेजी गई है, अपीलान्ट की भूमि की रिपोर्ट नही भेजी गई है। रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3 की भूमि से अपीलान्ट का कोई विवाद नही है। तहसीलदार घड़साना ने पटवारी द्वारा गलत भूमि की भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घड़साना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2023 को निरस्त फरमाया जावे। तथा तहसीलदार घड़साना को निर्देश प्रदान किया जावे कि पटवारी से अपीलान्ट की भूमि की सही रिपोर्ट मंगवाकर अपीलान्ट के वसीयत अनुसार इन्तकाल दर्ज करने के प्रार्थना पत्र पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1986 पेज 135, RRD 2002 पेज 280, RRD 1997 पेज 238, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा है, पटवारी द्वारा वही रिपोर्ट तहसीलदार घड़साना को भेजी है, जिस पर अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र पर भूमि अंकित की थी। पटवारी द्वारा सही रिपोर्ट भेजी गई है। अपीलान्ट ने जिस तथाकथित वसीयत का हवाला दिया वो फर्जी है, क्योकि अपीलान्ट नक्षत्रसिह का कालूराम से कोई रिश्ता नही था यह अपने आप में संदिग पैदा करता है। यदि अपीलान्ट वसीयत अनुसार वर्ष 1982 में उक्त भूमि का मालिक बन गया तो 40 वर्ष बाद वर्ष 2022 में प्रार्थना पत्र पेश क्यो किया। अपीलान्ट को तथाकथित वसीयत को सिविल न्यायालय से प्रोबेट करना पड़ेगा। नक्षत्रसिह की उम्र वसीयत में कही पर भी नही लिखी गई है, नक्षत्रसिह है कौन यह संदिग है। अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के खिलाफ कोई रिलीफ नही माग रहे है। अपीलान्ट ने कालूराम का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है वो फर्जी है, जिस विभाग से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो विभाग बता रहा है कि हमने मृत्यु प्रमाण पत्र पेश ही नही किया है। साथ ही उक्त भूमि गैर खातेदारी की भूमि है जिसकी वसीयत नही हो सकती है। अपीलान्ट द्वारा जो कार्यवाही की गई है वो सारी फर्जी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2023 सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। अपीलान्ट नक्षत्रसिह पुत्र संतासिह द्वारा कालूराम निष्पादित वसीयत दिनांक 20.06.1972 के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे अंकन चाहा है। यह प्रतिवेदित किया गया है कि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कालूराम की मृत्यु दिनांक 30.04.1982 को हो चुकी है। पटवारी हल्का 6 D D की जांच रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त वर्णित रकबा पर राजपाल उर्फ बलराज सिह पुत्र गुरदेव सिह, सतपाल सिह पुत्र गुरदेव सिह के द्वारा काबिज होकर काश्त की जा रही है। एवं पं. नं. 162/34 कि. नं. 6 व 15 में उक्त वर्णित व्यक्तियो की ढाणिया बनी हुई है एवं इनका परिवार निवास कर रहा है। मुताबिक रिकार्ड उक्त वर्णित 8.172 है. रकबा गैर खातेदार है। मृत्यु प्रमाण पत्र ग्रा. पं. सरदारशहर रजिस्ट्रीकरण सं. 428/27.06.1986 के अनुसार कालूराम पुत्र मघाराम की मृत्यु 30.04.1982 को हो चुकी है, रिकार्ड वर्तमान में मृत्क कालूराम के नाम दर्ज है। रिकार्ड कोई स्थगन दर्ज रिकार्ड नही है। पं. नं. 162/41= 0.949 है. कमाण्ड, 162/49 = 1.265 है. कमाण्ड मय खाला, 162/50= 3.795 है. कमाण्ड मय खाला, 162/58= 1.467 है. कमाण्ड रकबा से संबधित 10 गुणा पत्रावली उपखण्ड अधिकारी घड़साना के संमक्ष जैरकार है। अपीलान्ट द्वारा सन 1972 में निष्पादित तथाकथित वसीयत का राजस्व रिकार्ड में अंकन सन् 2022 में 50 साल बाद अधीनस्थ न्यायालय में चाहा गया है। 50 साल के विलम्ब का कोई ठोस, विश्वसनीय कारण पत्रावली पर नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार 10 गुणा भूमि संबधी वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना के कोर्ट मे लंबित है। उक्त परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) घड़साना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2023 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है, लिहाजा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2023 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर